

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

:: अधिसूचना ::

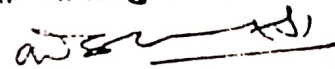
रायपुर, दिनांक: ८ / ८ / 2005

क्रमांक एफ-10/20/2005/वा.क.(पं.)/पांच(३४):: भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899(1899 का संख्यांक-2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद् द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/20/2005/वा.क.र(पं.)/पांच(34), दिनांक-21.06.2005 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ-10/20/2005/वा.क.र(पं.)/पांच(35), दिनांक-21.06.2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् :-

:: संशोधन ::

उपरोक्त अधिसूचनाओं में शब्द "उद्योग आयुक्त" के स्थान पर "उद्योग आयुक्त / संचालक, उद्योग" पढ़ा जावे ।

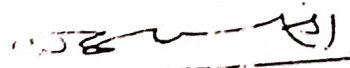
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(के०आर० मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक: ८ / ८ / 2005

क्रमांक एफ-10/20/2005/वा.क.(पं.)/पांच-:: भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/20/2005/वा.क.(पं.)/पांच(38), दिनांक: ८ / ८ / 2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(के०आर० मिश्रा)
उप सचिव

Kin AH.
To: Shri D.R. Wadhwa
D. R.

2/1/20

C.SIDC Ltd.
Fax: 2583794

**GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
FINANCE AND PLANNING DEPARTMENT
[COMMERCIAL TAX (REGISTRATION) DEPARTMENT]
MANTRALAYA
DAU KALYAN SINGH BHAWAN, RAIPUR**

:: NOTIFICATION ::

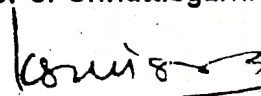
Raipur, Dated: 6/8/2005

No. F-10/20/2005/C.T.(R)/V/(38) :: In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899) the State Government hereby makes the following further amendments in this department's Notifications No. F-10/20/2005/C.T.(R)/V/(34), Dt. 21.06.2005 and F-10/20/2005/C.T.(R)/V/(34), Dated: 21 /06 /2005, namely :-

:: AMENDMENT ::

In the said notifications the word "Commissioner of industries" should be read as "Commissioner of Industries / Director, Industries".

By order and in the name of
Governor of Chhattisgarh.



(K.R. Misra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 20-75/2004/11/6

रायपुर, दिनांक

प्रति,

नियंत्रक,
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय,
राजनांदगांव छ.ग.

विषय:- औद्योगिक नीति 2004-07 के संबंध में जारी की गई अधिसूचनाएँ
बाबत ।

---x---

उपर्युक्त विषय में इस विभाग है समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 22/8/05
द्वारा जारी अधिसूचना की प्रति संलग्न है । कृपया उक्त अधिसूचना को
आगामी राजपत्र में प्रकाशित करते हुए उसकी 200 प्रतियाँ इस विभाग
को प्रेषित करने का कष्ट करें ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

Sd —

॥ अनुप श्रीवास्तव ॥

विशेष सचिव

छ.ग. शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृ.क्र.एफ 20-75/04/11/6

रायपुर, दिनांक 25/8/05.

प्रतिलिपि:-

संचालक, उद्योग संचालनालय, रायपुर, छ.ग. की ओर इस विभाग
द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22/8/05 की प्रतिलिपि संलग्न कर प्रेषित है ।

ॐ

विशेष सचिव

छ.ग. शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

8569

30.8.05

1P

29/8

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर

// अधिसूचना //

रायपुर, दिनांक २२/८/०५

क्रमिक: एफ 20-95/04/11/6 :- राज्य शासन द्वारा औद्योगिक नीति 2004-09 में घोषित
रियायतों के कियान्वयन हेतु निम्नलिखित अधिसूचनाएं जारी की गयी हैं -

- | | |
|---|---|
| 1-अधिसूचना क्रमांक एफ-20-95/04/11/6
दिनांक 21.6.2005 | छत्तीसगढ़ राज्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण
नियम 2004 |
| 2-अधिसूचना क्रमांक एफ-20-95/04/11/6
दिनांक 21.6.2005 | छत्तीसगढ़ राज्य तकनीकी पेटेंट अनुदान
नियम 2004 |
| 3-अधिसूचना क्रमांक एफ-20-95/04/11/6
दिनांक 21.6.2005 | छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन लागत
प्रतिपूर्ति अनुदान नियम 2004 |
| 4-अधिसूचना क्रमांक एफ-20-95/04/11/6
दिनांक 21.6.2005 | छत्तीसगढ़ राज्य प्रौद्योगिकी प्रोन्नति नियम
2004 |

- 2- उपरोक्त अधिसूचनाओं में जहां शब्द "उद्योग आयुक्त" प्रयुक्त हुआ है वहां उद्योग आयुक्त के
स्थान पर शब्द "उद्योग आयुक्त / संचालक उद्योग" प्रतिस्थापित किया जाता है ।
- 3- यह संशोधन अधिसूचना जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

 18/8/05

विशेष सचिव
वाणिज्य एवं उद्योग-विभाग
मंत्रालय रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय

//अधिसूचना //

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई, 2005

क्रमांक एफ 14-2/2003/(6)/11:- राज्य शासन द्वारा औद्योगिक नीति 2001-08 में घोषित
रियायतों के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित अधिसूचनाएं जारी की गयी हैं :-

- 1-अधिसूचना क्रमांक एफ 14-2/03/(6)/11- (2), छत्तीसगढ़ राज्य ब्याज अनुदान नियम
दिनांक 7/6/2003 2001
- 2-अधिसूचना क्रमांक एफ 14-2/03/(6)/11- (3), छत्तीसगढ़ राज्य लागत पूंजी सहायता
दिनांक 7/6/2003 नियम 2001
- 3-अधिसूचना क्रमांक एफ 14-2/03/(6)/11- (4), छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति जनजाति
दिनांक 7/6/2003 वर्ग के लिये मार्जिन गनी नियम 2001
- 4-अधिसूचना क्रमांक एफ 14-2/03/(6)/11- (5), छत्तीसगढ़ राज्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण
दिनांक 7/6/2003 नियम 2001
- 5-अधिसूचना क्रमांक एफ 14-2/03/(6)/11- (6), छत्तीसगढ़ राज्य तकनीकी पेटेंट अनुदान
दिनांक 7/6/2003 नियम 2001
- 6-अधिसूचना क्रमांक एफ 14-2/03/(6)/11- (7), छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन
दिनांक 7/6/2003 लागत प्रतिपूर्ति अनुदान नियम 2001
- 7-अधिसूचना क्रमांक एफ 14-2/03/(6)/11- (8), छत्तीसगढ़ राज्य अधोसंरचनात्मक सहायता
दिनांक 7/6/2003 नियम 2001
- 8-अधिसूचना क्रमांक एफ 14-2/03/(6)/11- (9), छत्तीसगढ़ राज्य प्रौद्योगिकी प्रोन्नति नियम
दिनांक 7/6/2003 2001

- 2- उपरोक्त अधिसूचनाओं में जहां शब्द "उद्योग आयुक्त" प्रयुक्त हुआ है वहां उद्योग आयुक्त
के स्थान पर शब्द "उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग" प्रतिस्थापित किया जाता है।
- 3- यह संशोधन अधिसूचना जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(अनुप कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

प्रकाश-

प्रतिनिधि: क्र. एफ 14-2/2003/(6)/11 दिनांक 11.7.2005

संचालक उद्योग उद्योग संचालन विभाग की ओर
अर्थात् एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अधिसूचना


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, रायपुर

उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर
(औद्योगिक नीति प्रकोष्ठ)

पृ०कमांक- /औनीप्र/उसंचा-रा/ 2004/10786-11/
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक

27 JUL 2005

- 1- महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
रायपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/महासमुंद/कर्वधा/ धमतरी/ कांकर/ जगदलपुर/ दंतेवाड़ा/
बिलासपुर/कोरबा / जांजगीर-चांपा/रायगढ़/जशपुर नगर/कोरिया /अंबिकापुर
(छत्तीसगढ़) ।
- 2- नोडल अधिकारी, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, मंत्रालय के पास रायपुर ।
- 3- संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, बिलासपुर ।
- 4- अध्यक्ष, कान्फेडरेशन ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्रीज, 193, सिविल लाईन जब्बल बिल्डिंग रायपुर ।
- 5- अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट कौंसिल आफ फेडरेशन ऑफ इण्डियन चेम्बर आफ कामर्स एण्ड
इण्डस्ट्रीज, जिंदल काम्पलेक्स, मंदिर हसौद, जिला रायपुर ।
- 6- अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ उद्योग महासंघ, पंजाबी कालोनी, कक्कड़ भवन रायपुर ।
- 7- अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ, तिफरा, बिलासपुर
- 8- अध्यक्ष, उरला इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन उरला रायपुर ।
- 9- उप संचालक, अधोसंरचना विकास कक्ष, वित्तीय सहायता कक्ष
को एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


(डी०आर०वाघवानी)
उप संचालक उद्योग
उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़